Neutral Citation
2020:CGHC:5760

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील **(**वैवाहिकी**)** **क्रं. 15 वर्ष 2019**

25.2.2020 को सुरक्षित

26.2.2020 को आदेश पारित

श्रीमती किस्मैत पत्नी सुन्दर साय, आयु लगभग 30 वर्ष, जाति नागेशिया, ग्राम–गम्हरडीह, तहसील एवं पुलिस थाना– शंकरगढ़, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज, छत्तीसगढ़

——— अपीलकर्ता

विरुद्ध

सुन्दर साय पुत्र मलवा राम, आयु लगभग 35 वर्ष, जाति नागेशिया, ग्राम–भारतपुर, तहसील एवं पुलिस थाना– शंकरगढ़, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज, छत्तीसगढ़

——— उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

– –

अपीलकर्ता के लिए कुमारी सुचित्रा बैस, अधिवक्ता।

उत्तरवादी के लिए श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता।

– –

माननीय श्री शरद कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति

सी.ए.वी निर्णय

1. अपीलकर्ता ने इस पहले अपील को 7–8–2019 को जिला न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ में सिविल सूट क्र. 23–ए2018 में पारित किये

गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, जिसमें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर की गई उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया।

2. अपीलकर्ता का मामला संक्षेप में यह है कि उनका विवाह 2006 में उत्तरवादी के साथ हिन्दू रीति–रिवाजों के अनुसार हुआ था। वह शराब पीने का आदी हो गया था और उसने उन्हें क्रूरता का शिकार बनाया। एक बार उसने उन पर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें मारने की कोशिश की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरवादी का मामला संक्षेप में यह है कि उसने कभी अपीलकर्ता के साथ क्रूरता नहीं की, और अपीलकर्ता का किसी बस कर्मचारी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिससे वह सप्ताहिक बैठक में भाग लेने के लिए महिला एवं बाल विकास कार्यालय, शंकरगढ़ जाती थी।

4. विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता की आवेदन को खारिज कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने वर्तमान पहले अपील को प्रस्तुत किया है।

5. अपीलकर्ता का संक्षेप में तर्क है कि विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि उत्तरवादी ने अपीलकर्ता के चरित्र पर झूठे
आरोप लगाए, जो कि क्रूरता की श्रेणी में आता है।

6. उत्तरवादी का संक्षेप में तर्क है कि अपीलकर्ता ने तलाक प्राप्त करने हेतु क्रूरता के आधार को सिद्ध करने में विफल रही है।

7. **विचारण हेतु बिंदु**

मामले में निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्णय लिया जाना है–

(1) क्या अपीलकर्ता का मुकदमा विचारणीय है?

(2) क्या विवाह के संपन्न होने के बाद, उत्तरवादी ने अपीलकर्ता के साथ क्रूरता किया?

(3) क्या अपीलकर्ता, तलाक का आदेश, प्राप्त करने का अधिकार है?

(4) सहायता एवं व्यय ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारण हेतु बिंदु क्र. 01 – कारण सहित निष्कर्ष

8. अपीलकर्ता के मामले के अनुसार, वह जाति से नागेशिया हैं और उत्तरवादी भी जाति से नागेशिया हैं।

9. अधिनियम की धारा 2 में निम्नलिखित प्रावधान हैं – अधिनियम का आवेदन–

(1) यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होता है–

(क) वह व्यक्ति जो किसी भी रूप या विकास में हिन्दू धर्म का अनुयायी है, जिसमें वीरशैव, लिंगायत या ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज का अनुयायी भी शामिल है।

(ख) वह व्यक्ति जो बौद्ध, जैन या सिख धर्म का अनुयायी है, और

(ग) वह अन्य व्यक्ति जो उन क्षेत्रों में निवासी है जहाँ यह अधिनियम लागू होता है, जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म का अनुयायी नहीं है, जब तक यह प्रमाणित न हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हिन्दू कानून द्वारा या किसी परंपरा या रीति द्वारा, जो उस

कानून का हिस्सा हो, किसी भी ऐसे मामले में जो यहाँ निहित है, शासित नहीं होता, यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता।

स्पष्टीकरण– निम्नलिखित व्यक्ति हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म के अनुयायी माने जाएंगे, जैसा कि मामले के अनुसार हो

(क) कोई भी बच्चा, वैध या अवैध, जिसके दोनों माता–पिता हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म के अनुयायी हैं

(ख) कोई भी बच्चा, वैध या अवैध, जिसके एक माता–पिता हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म का अनुयायी है और जिसे उसी धर्म के अनुयायी के रूप में पालन–पोषण किया गया हो

(ग) कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में परिवर्तन या पुनः परिवर्तन हुआ हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 366 की उपबंध (25) के तहत परिभाषित अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होगा, जब तक कि केंद्रीय

सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इसके विपरीत निर्देश न दे।

(3) इस अधिनियम के किसी भी भाग में ''हिन्दू'' शब्द को इस प्रकार समझा जाएगा जैसे वह व्यक्ति भी इस अधिनियम के अधीन आता हो, जो धार्मिक दृष्टि से हिन्दू नहीं है, लेकिन यह अधिनियम उसके लिए लागू होता है क्योंकि वह इस धारा में निहित प्रावधानों के तहत आता है।

10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) में निम्नलिखित प्रावधान है–

''अनुसूचित जनजातियाँ'' का अर्थ उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों या उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भागों या समूहों से है, जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है।

11. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में निम्नलिखित प्रावधान है–

अनुसूचित जनजातियाँ– (1) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, के संबंध में, और जहाँ यह राज्य हो, वहाँ राज्यपाल से परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए उस राज्य ख्या संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी हो, के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियाँ माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 (सी.ओ.22) में निम्नलिखित प्रावधान है–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, संबंधित राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के बाद, निम्नलिखित आदेश जारी कर सकता है

1. इस आदेश को संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 कहा जाएगा।

2. इस आदेश के अनुसूची के भाग I से XXII तक में निर्दिष्ट जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय, या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भाग या समूह, संबंधित राज्यों के संदर्भ में, अनुसूचित जनजातियाँ मानी जाएँगी, जैसा कि उन भागों में उनके लिए निर्दिष्ट स्थानीयताओं के संदर्भ में है।

3. इस आदेश में राज्य, जिले या अन्य क्षेत्रीय विभाजन के संदर्भ में कोई भी उल्लेख 1 मई 1976 को उस राज्य, जिले या क्षेत्रीय विभाजन के रूप में समझा जाएगा, जैसा कि उस दिन

तक अस्तित्व में था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुसूचित जनजातियाँ

(भाग XX– छत्तीसगढ)

1. आगरिया
2. आन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भरिया भूमिया, भुइंहर भूमिया, भूमिया, भरिया, पलिहा, पांडो
6. भटरा
7. बिल, भीलाला, बरला, पटेलिया
8. बिल मीना
9. भुञ्जिया

10. बियार, बियार

11. बिनझवार

12. बिरहल, बिरहोर

13. डामोर, डामरिया

14. धनवार

15. गडबा, गडबा

16. गोंड, अरख, अरख, आगरिया, असुर, बड़ी मरिया, बड़ा मरिया, भटोला, बिमउं, भूत, कोइलाभूत, कोलिभूति, भार, बायसनहॉर्न मरिया, छोटा मरिया, डंडामी मरिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धूलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गइता, गोंड, गोवारी हिल मरिया, कांद्रा, कालंगा, हातोला, कोइटर, कोया, खीरवार, हीरवारा, कुचा मरिया, कुचकी मरिया, माड़िया, मरिया, मना, मन्नेवार, मघ्या, मोगिया, मिंग्ह्या, मुदिया, मुरिया, नागरची, नागवंशी, ओझा, राज गोंड, सोनझरी, झरेका, थातिया, ठोट्या, वड़े मरिया, वडे

17. मरिया, दरोई

18. हलबा, हलबी

19. कुम्हार

20. कर्कू

21. कावर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवार, छत्री

22. खैरवार, कोंडार

23. खारिया

24. कोंध, खोन्द, कंध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. कोलम

26. कर्कू, बोपची, मौसी, निहार, नाहुल, बोंधी, बोंदिया

27. कोरवा, कोडाकु

28. मझी

29. मझवार

30. मवासी

31. मुंडा

32. नागेशिया, नागसिया

33. उरांव, धंका, धांगड़

34. पाओ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. पर्दान, पठारी, सरोटी

36. पर्दी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पर्दी, लंगोली पर्दी, फांसी पर्दी, शिकारी, तकंकर, तकिया (i) बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, रायगढ़, जशपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले, (ii) कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा तहसील, (iii) बिलासपुर, पेंड्रा, कोटा और टैकतपुर तहसील, (iv) दुर्ग, पाटन, गुण्डरदेही, धमधा, बालोद, गुरुर और डोंडीलोहारा तहसील, (v) चौकी, मानपुर और मोहला राजस्व निरीक्षक सर्कल राजनांदगांव जिले, (vi) महासमुंद, सराईपाली और बसना तहसील महासमुंद जिले, (vii) बिंद्रा–नवागांव राजिम और देवभोग तहसील रायपुर जिले, और (viii) धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील छत्तीसगढ़ जिले,

37. पारजा

38. सहरिया, सहरिया, सेहरिया, सेरिया, सोसिया, सोर

39. साँटा, साँटा

40. सौर

41. सावर, सवारा

42. सोनर

13. उक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जाति ''नागेसिया'' जो कि क्रमांक 32 में उल्लिखित है, उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) और अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।

14. इस संबंध में कोई ऐसी अधिसूचना नहीं है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई हो, जिसमें केंद्रीय सरकार ने यह निर्देश दिया हो कि ''यह अधिनियम'' नागेसिया जाति के सदस्यों पर लागू होगा, जो अनुसूचित जनजाति हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. एआईआर **2001, डॉ. सूरजमणी स्टेला कुजुर बनाम दुर्गा चरण हंसदा, पृष्ठ संख्या 938** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैराग्राफ संख्या 6 में निम्नलिखित निष्कर्ष दिया है–

''इस अपील में पक्षकारों को स्वीकार किया गया है कि वे जनजातीय हैं, अपीलकर्ता एक उरांव है और उत्तरवादी एक संथाल है। यदि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कोई अधिसूचना या आदेश नहीं है, तो इन्हें हिन्दू माना जाएगा। यहां तक कि यदि संविधान के तहत कोई अधिसूचना जारी की जाती है, तो इस अधिनियम को अनुसूचित जनजातियों पर लागू किया जा सकता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2(2) के उपबंध में प्रावधान है। यह किसी भी पक्ष से विवादित नहीं है कि संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 में, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश

(संशोधन) अधिनियमों 63 of 1956, 108 of 979, 18 of 1987 और 15 of 1990 के तहत संशोधित किया गया है, दोनों जनजातियाँ जिनमें पक्षकारों का संबंध है, भाग XII में उल्लिखित हैं। यह अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि ष्याचिका में पक्षकार दो जनजातीय लोग हैं, जो अन्यथा हिन्दू धर्म का पालन करते हैं, परंतु उनका विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत नहीं आता है, क्योंकि धारा 2(2) के तहत यह केवल उनकी संथाल परंपराओं और रिवाजों द्वारा शासित होता है।''

16. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किए गए न्यायिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि अधिनियम,अपीलकर्ता और उत्तरवादी दोनों पर लागू नहीं है। दूसरे शब्दों में, दोनों पक्षों का विवाह अधिनियम की सीमा से बाहर है और यह केवल उनकी नागेसिया परंपराओं और रिवाजों द्वारा शासित होता है। अतः यह न्यायालय पाता है कि अपीलकर्ता की याचिका विचारणीय योग्य नहीं है। इस प्रकार, यह न्यायालय निर्णय बिंदु संख्या 1 को उसी अनुसार तय करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. चूंकि अपीलकर्ता की याचिका विचारणीय योग्य नहीं है है, अतः बिंदु संख्या 2 और 3 पर कारण सहित निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है।

<u>विचारण हेतु बिंदु संख्या 4 – कारण सहित निष्कर्ष</u>

18. जैसा कि पहले निर्णय लिया गया है कि अपीलकर्ता की याचिका अस्वीकार्य है, अतः यह न्यायालय वर्तमान अपील को खारिज करता है। दोनों पक्ष अपने–अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे।

आदेशानुसार डिक्री तैयार की जावेगी।

सही/–

(शरद कुमार गुप्ता)
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा।समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur